न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

223RTA2020-00186Ju2020-076 Manohari etc Vs Jagmalaram etc

---

1. मनोहरी पुत्री भींयाराम पत्नी भरमलराम जाति विश्नोई
   निवासी रणीसर, तहसील फलोदी
   जिला जोधपुर
2. हीरा पुत्री भींयाराम पत्नी सुरजनराम विश्नोई
   निवासी मतोडा, तहसील ओसियां
   जिला जोधपुर
3. गवरी पुत्री भींयाराम पत्नी रामुराम विश्नोई
   निवासी पलीना, तहसील फलोदी,
   जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. जगमालराम पुत्र भींयाराम जाति विश्नोई
   निवासी चैनपुरा कंला (भोजासर)
   हाल निवासी सांवता (मतोडा), तहसील बापिणी
   जिला जोधपुर
2. भाखरराम पुत्र भींयाराम जाति विश्नोई
   निवासी चैनपुरा कंला (भोजासर)
   हाल निवासी सांवता (मतोडा), तहसील बापिणी
   जिला जोधपुर
3. हरदासराम पुत्र भींयाराम जाति विश्नोई
   निवासी चैनपुरा कलां, छीतर बेरा (भोजासर)
   तहसील फलोदी, जिला जोधपुर
4. सोमारी पत्नी पूनमाराम जाति विश्नोई
   निवासी चैनपुराकलां (भोजासर),
   जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी दिनांक 04 मार्च 2020 राजस्व वाद संख्या 202/2006 (398/2019) मनोहरी व अन्य बनाम जगमालराम इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री सुगनमल परिहार, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

नि र्ण य

दिनांक : 26 जुलाई, 2021

अपीलाण्ट ने सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी द्वारा राजस्व वाद संख्या 2002/2006 (398/2019) मनोहरी व अन्य बनाम जगमालराम इत्यादि में पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 मार्च 2020 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 03 जुलाई 2020 को प्रस्तुत की है। अपील के साथ एक प्रार्थनापत्र भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत कर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादिनी-अपीलाण्ट्स ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के तहत एक राजस्व वाद ग्राम चैनपुराकलां पटवार क्षेत्र भोजासर स्थित आराजी खसरा संख्या 907 रकबा 01 बीघा एवं खसरा संख्या 908 रकबा 89 बीघा 04 बिस्वा कुल रकबा 90 बीघा 04 बिस्वा के संबंध में प्रस्तुत किया। उक्त वाद में वादिनी-अपीलाण्ट्स वादग्रस्त आराजियात अपने पिता की खातेदारी की होना, पिता के देहान्त के बाद अपीलाण्ट्स के नाम म्युटेशन नहीं भरा जाना, उत्तराधिकार के आधार पर उक्त आराजियात में अपीलाण्ट्स का भी हक-हकूक होना जाहिर किया गया। प्रतिवादीगण-रेस्पो. की ओर से जबाब पेश कर उक्त वाद का विरोध किया गया। दिनांक 30 जनवरी 2018 को उक्त वाद के साथ अन्य वाद संख्या 217/2006 सोमारी बनाम भाखराराम आदि समेकित किया गया। फिर दिनांक 10 जुलाई 2018 को मामले में तनकियात कायम की जाकर प्रकरण साक्ष्य हेतु मुकर्रर किया गया। वादी-पक्ष की साक्ष्य हो जाने के बाद समुचित अवसर दिये जाने के उपरान्त भी प्रतिवादी-पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12 फरवरी 2020 को प्रतिवादी-पक्ष के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

साक्ष्य का अवसर भी बंद कर अग्रिम कार्यवाही हेतु पेशी मुकर्रर की गयी। किन्तु आगामी पेशी 04 मार्च 2020 को प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया जाना वर्णित करते हुए उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार कर वादी-पक्ष का वाद खारिज कर दिया गया। जिसके खिलाफ प्रतिवादी-अपीलाण्ट द्वारा आलौच्य अपील पेश की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ड्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि आदेश 7 नियम 11 के तहत जिन परिस्थितियों में दावा खारिज किये जाने के प्रावधान है, वैसी परिस्थितियॉ इस मामले में बिलकुल ही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद सन 2006 से लम्बित था जिसमें वादी-पक्ष की साक्ष्य दर्ज की जा चुकी थी, एवं प्रतिवादी-पक्ष की ओर से जानबूझ कर कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12 फरवरी 2020 को प्रतिवादी-पक्ष की साक्ष्य का अवसर बंद किया जाकर आगामी पेशी 24 मार्च 2020 मुकर्रर की गयी। किन्तु दिनांक 23 मार्च 2020 से कोविड-19 के कारण देशव्यापी लोक डाउन हो जाने की वजह से अपीलाण्ट एवं उनके अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके और न ही आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थनापत्र पर कोई बहस की। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में वादी-पक्ष की उपस्थित अंकित की गयी है। इतना ही नहीं, आदेशिका में काट-छांट भी की गयी है। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थनापत्र का अन्य किसी आदेशिका में कोई वर्णन ही नहीं है और न ही उक्त प्रार्थनापत्र पर प्रस्तुतीकरण भी नहीं किया हुआ है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने अपनी बहस जारी रखते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद विरासत का सामान्य मामला होकर वादी-पक्ष के पिता भींयाराम का देहान्त होने के बाद प्रथम श्रेणी के सभी वारिसान को अधिकार अर्जित होने के उपरान्त भी फौतेदगी म्युटेशन मात्र भींयाराम के पुत्रों के नाम भरा गया, इसी वजह से वादी-पक्ष को

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वादकरण उत्पन्न हुआ। अतः अपील अपीलाण्ट मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख तथा प्रस्तुत नजीरों का आघोपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

जहॉ तक अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का प्रश्न है, सरसरी तौर पर प्रकरण का सिंहावलोकन करने पर गुणावगुण के आधार पर अपील अपीलाण्ट सारवान पायी जाती हैं। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए अदालत हाजा अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम एवं उसके संलग्न प्रस्तुत शपथपत्र में वर्णित बिन्दु ओं एवं इस संबंध में अधिवक्तागण-अपीलाण्ट द्वारा की गयी बहस पर विश्वास करते हुए अपील-अपीलाण्ट अन्दर मियादशुमार की जाती है।

गुणावगुण के संबंध में प्रकरण के तथ्यों एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर वादिनी-अपीलाण्ट्स का दावा वादकरण के अभाव में जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 04 मार्च 2020 इस आधार पर खारिज कर दिया कि सन 1998 में भरे गये नामांतरकरण की जानकारी होते हुए भी कोई कार्यवाही नहीं कर एक लम्बी अवधि के बाद दुरभिसंधिपूर्वक पेश किये गये दावे का वादीगण को कोई वादकरण उत्पन्न नहीं होता। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर विदित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पेज 103-104 पर उपलब्ध **प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर प्रस्तुतीकरण तक नहीं किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आदेशिकाओं में भी उक्त प्रार्थनापत्र पेश होने का कोई विवरण नहीं है,** अपितु सीधे ही अपीलाधीन आदेश में ही उक्त प्रार्थनापत्र का उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 12 फरवरी 2020 की आदेशिका से यह भी पाया जाता है कि उक्त आदेशिका के अनुसार साक्ष्य-प्रतिवादी बन्द की जाकर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 04 मार्च 2020 मुकर्रर की गयी। **दिनांक 04 मार्च 2020 काटछांट कर 04 लिखा हुआ है। जाहिर है कि दिनांक 12 फरवरी 2020 की आदेशिका में अग्रिम दिनांक में काटछांट कर तब्दीली की गयी है।** इतना ही नहीं, दिनांक 30 जनवरी 2018 को उक्त वाद के साथ **समेकित (कन्सोलिडेट्ड) किये गये अन्य वाद संख्या 217/2006 सोमारी बनाम भाखराराम व अन्य के संबंध में अपीलाधीन आदेश में कोई निष्कर्ष पारित नहीं किया गया है।**

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश आनन-फानन में और निर्धारित विधिक प्रक्रिया एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों को नजरअंदाज कर अनियमितता बरतते हुए पारित किया गया है, जो समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट्स अन्दर मियाद शुमार की जाकर आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी द्वारा राजस्व वाद संख्या 2002/2006 (398/2019) मनोहरी व अन्य बनाम जगमालराम इत्यादि में पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 मार्च 2020 अपास्त किया जाता है और प्रकरण उभयपक्षकारान की सुनवाई कर नियमानुसार विधिसम्मतः निर्णय पारित किये जाने हेतु रिमाण्ड किया जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/7/2021

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर